

निदेशक,

"बाल नीति", महिला एवं बाल विकास
विभाग, जयपुर।

जे.रं.
12/4/04

विषय: राज्य की प्रस्तावित बाल नीति विषयक सुझाव

दि. 17.4.03

12
inspector
13/4

होदय,
राज्य में बालक-बालिकाओं की स्थिति में सुधार हेतु बनाई जाने वाली नीति में

निर्धारित सुझाव विचारणीय हैं-

1. बालविवाह राजस्थान में प्रचलित व्यापक कुरीति है। यद्यपि इसे रोकने हेतु कानून है किन्तु वह प्रभाक्कारी सिद्ध नहीं हुआ है अतः सुझाव है कि राज्य में सभी विवाहों का पंजीकरण अनिवार्य कर देना चाहिए। पंजीकरण के समय राशनकार्ड की प्रति लगाई जाए। इससे बाल विवाह रूक सकेंगे। जो विवाह कम उम्र में हों उन्हें भविष्य में अन्य लाभों से वंचित किया जाए। इस हेतु जनता को सोचने के लिए 2 वर्ष का समय दिया जा सकता है। यह सुझाव हम राज्य सरकार को भी प्रस्तुत क रहे हैं।

2. यदि शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया जा चुका है तथापि बच्चों के अधिकारों की रक्षा का कानूनी दायित्व माता-पिता का होना चाहिए। बच्चे को जन्म देकर उसका सही लालन-पालन न करना भी तो मानवाधिकारों का हनन ही है अतः जनसंख्या वृद्धि रोकने तथा बच्चों का भविष्य सँवारने हेतु माता-पिता को पाबन्द किया जाए।

3. बाल नीति को प्रत्यक्षतः जनसंख्या नीति से सम्बद्ध कीजिएगा। दो बच्चों का ... परिवार मापदण्ड बनाना ही होगा अपितु कोने शब्दों की सुन्दर रचना ही कोई नीति कारगर सिद्ध नहीं होगी।

सादर

भवदीय

डॉ. सुरेन्द्र कटारिया

एसोसिएट प्रोफेसर

इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण
विकास संस्थान, जवाहर लाल नेहरू मार्ग

जयपुर- 302004



राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक 26 (xi)(10) वि.बै.-III/राबानी/मबावि/2003/14889-49

दिनांक: 8/5/03

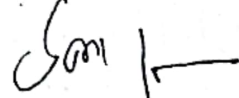
डॉ. सुरेन्द्र कटारिया
एसोसिएट प्रोफेसर
इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

विषय:- राज्य की बाल नीति के सम्बन्ध में आपके सुझाव।

प्रोदय,

राज्य की बाल नीति के संबंध में आपके अमूल्य सुझाव प्राप्त हुये हैं। मैं विश्वास
दिलाना चाहूँगा कि बाल नीति बनाते समय आपके इन विचारों को ध्यान में रखा
जायेगा।

भवदीय



(सुधीर कुमार)
कार्यक्रम अधिशासी